कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर

पत्रांक— |||| /मी0क्षे0/33/मीरजापुर, दिनांक,सितम्बर, 30— 2022

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।

विषयः— जनपद—सोनभद्र के रेनुकूट वन प्रभाग अन्तर्गत पी0एम0जी0एस0वाई खण्ड, लोक निर्माण विभाग सोनभद्र द्वारा आर0एस0रोड (सिंधहवा) से जोगेन्द्रा वाया खजुरा मार्ग के चैनेज संख्या— 0.000 से 20.150 तक में निर्मित मार्ग के चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण से प्रभावित 14.5603 हे0 वन भूमि पर गैर वानिकी कार्य की अनुमति के संबंध में ।

(ऑन लाईन प्रस्ताव संख्या–FP/UP/ROAD/118819/2021)

संदर्भ— भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ का पत्रांक— 8बी/यू0पी0/06/33/2022/एफ0सी0/786 दिनांक— 31.03.2022 एवं आपका पत्रांक— 2795/11—सी— FP/UP/ROAD/118819/2021 लखनऊ दिनांक—01.04.2022 तथा पत्रांक— 448/11—सी— FP/UP/ROAD/118819/2021 लखनऊ दिनांक— 04.08.2022

महोदय,

विषयगत प्रकरण में संदर्भित पत्रो का अवलोकन करने की कृपा करें । प्रश्नगत प्रकरण में संदर्भित पत्र दिनांक—29.09.2022 द्वारा माँगी गयी वांछित सूचना/अभिलेख उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये है। उक्त के अनुपालन मे प्रभागीय वनाधिकारी सोनभद्र ने अपने कार्यालय के पत्र सं0—426/सोनभद्र/33 दिनांक 12.09.2022 **(छाया प्रति संलग्न)** द्वारा प्रश्नगत बिन्दु की अनुपालन आख्या निर्धारित टेबुलर फार्म मे संस्तुति सहित निम्नानुसार इस कार्यालय को प्रेषित किया है :—

क्र0सं0	भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊकापत्रांक—8बी/यू0पी0/06/33/2022/एफ0सी0/ 786 दिनांक— 31.03.2022 में अंकित बिन्दु	अनुपालन आख्या
1	2	3
1	As per the GIS DSS and SOI toposheet demarcation of the forest area in Kml file is undervalued. Some forest areas are demarcated as Non-Forest land . this needs rectification/clarification.	इस बिन्दु के अनुपालन में प्रभागीय वनाधिकारी रेनुकूट द्वारा अवगत कराया है कि लिनियर प्लान में अंकित गैर वन भूमि का डिमार्केशन वन भूमि के रूप मे करा दिया गया है । एरिया से संबंधित संशोधित लिनियर प्लान व के0एम0एल0 की पेन ड्राईव इस पत्र के साथ संलग्न है । अब प्रस्तावित वन भूमि के एरिया में कोई परिवर्तन नही है ।
2	The NET Suitable area for plantation as per GIS-DSS analysis is 9.0 ha . which is less than the actual required CA land area .	इस बिन्दु के अनुपालन में प्रभागीय वनाधिकारी रेनुकूट द्वारा अवगत कराया है कि प्रश्नगत परियोजना में प्रभावित वन भूमि के समतुल्य गैर वन भूमि निम्नानुसार चयनित किया गया है ।

		1– ग्राम–बहेराडोल 8.0003 हे0 2– ग्राम–कटौंधी 6.5600 हे0 योग– 14.5603 हे0 उक्त चयनित गैर वन भूमि का निरीक्षण पुनः राजस्व विभाग एवं वन विभाग द्वारा किया गया तथा चयनित क्षेत्रफल में कोई कमी नही पायी गयी । सी0ए0 स्थल मे मौके पर झाड़ीनुमा झाड है जिसे साफ कराते हुए वृक्षारोपण कार्य कराया जायेगा तथा स्थल वृक्षारेपण हेतु सर्वथा उपयुक्त एवं पर्याप्त है । जियो रेफरेन्स मानचित्र से संबंधित के0एम0एल0 फाईल की पेन ड्राइव संलग्न है ।
3	As per the proposal CA land has been proposed in Non-Forest area . but according to the SOI toposheet and DSS CA land patch falls under the Reserve Forest area this needs rectification and clarification.	इस बिन्दु के अनुपालन में प्रभागीय वनाधिकारी रेनुकूट द्वारा अवगत कराया है कि प्रस्तावित गैर वन भूमि राजस्व अभिलेखों एवं वन विभाग के अभिलेखो के अनुसार गैर वन भूमि ही है। जिसकी पुष्टि हेतु प्रस्ताव के पृष्ठ संख्या– 210 पर वांछित प्रमाण पत्र संलग्न किया गया है । उक्त का मिलान पुनः राजस्व अभिलेख एवं वन विभाग के अभिलेख से कराया गया । चयनित क्षेत्र आरक्षित वन भूमि के अन्तर्गत नही है बल्कि विशुद्ध रूप से गैर वन भूमि ही है ।
4	Geo- referenced cadastal map of the proposed CA land needs to be submitted	इस बिन्दु के अनुपालन में प्रभागीय वनाधिकारी रेनुकूट द्वारा अवगत कराया है कि प्रस्तावित क्षतिपूरक गैर वन भूमि का कैडस्ट्रल मैप प्रस्ताव के पृष्ठ संख्या–240 ,241, 242 व 243 पर संलग्न है तथा जियो रिफरेन्स मानचित्र प्रस्ताव के पृष्ठ संख्या– 236 व 237 पर संलग्न है ।
5	When was the existing road constructed . If afer 1980 and permission was not taken under FCA . then the proposal should include the area of existing road as well.	इस बिन्दु के अनुपालन में प्रभागीय वनाधिकारी रेनुकूट द्वारा अवगत कराया है कि प्रश्नगत मार्ग पूर्व से निर्मित है किन्तु इसकी पुष्टि हेतु प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा कोई अभिलेख उपलब्ध नही कराया गया है और न कोई अभिलेख उपलब्ध नही है तथा निर्मित मार्ग के क्षेत्रफल को प्रस्ताव में सम्मिलित किया गया है ।
6	It is not clear from the proposal that what is before and what is after proposed alignment .	इस बिन्दु के अनुपालन में प्रभागीय वनाधिकारी रेनुकूट द्वारा अवगत कराया है कि प्रस्तावित मार्ग पूर्व निर्मित मार्ग के संरेखन में ही चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य कराया जाना प्रस्तावित है । मार्ग के संरेखन में कोई बदलाव नही किया गया है ।
7	No objection certificate of concerned epartments (Irrigation, PWD/NHAI etc) need to be submitted .	इस बिन्दु के अनुपालन में प्रभागीय वनाधिकारी रेनुकूट द्वारा अवगत कराया है कि प्रस्तावित मार्ग पी0डब्लू0डी0 के अधीन ही है तथा इस मार्ग के चौड़ीकरण में प्रभावित वन भूमि के अतिरिक्त अन्य

		किसी विभाग की कोई भूमि सम्मिलित नही है इस कारण अन्य विभाग से एन0ओ0सी0 लेने की आवश्यकता नही है ।
8	Component wise breakup of land required and component wise area calculation with the layout plan.	इस बिन्दु के अनुपालन में प्रभागीय वनाधिकारी रेनुकूट द्वारा अवगत कराया है कि प्रश्नगत परियोजना में प्रभावित भूमि का कम्पोनेन्ट वाइज विवरण ऑन लाइन पार्ट–1 के क्रमांक 8–2–4 मे अपलोड किया गया है जिसकी प्रति संलग्न है ।
9	Detailed muck calculation and muck disposal scheme as approved by concerned DFO needs to be submitted.	इस बिन्दु के अनुपालन में प्रभागीय वनाधिकारी रेनुकूट द्वारा अवगत कराया है कि मक डिस्पोजल प्रमाण–पत्र प्रस्ताव के पृष्ठ संख्या– 110 पर संलग्न है ।

अतः प्रभागीय वनाधिकारी रेनुकूट द्वारा प्रश्नगत बिन्दु की प्रेषित आख्या एतद्सह संलग्न कर आवश्यक अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित।

संलग्नकः–उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(रमेश चन्द्र झा)
मुख्य वन संरक्षक
मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर

संख्या– 1111 /अ/समदिनांक।

प्रतिलिपि–प्रभागीय वनाधिकारी, रेनुकूट को उनके कार्यालय पत्रांक–951/रेनुकूट/15–295 दिनांक 15.09.2022 के कम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(रमेश चन्द्र झा)
मुख्य वन संरक्षक,
मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर

15.09.2022

Ok